# न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 73/2016 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00230

उनवान

1. रामहरी पुत्र डोंगर सिंह
2. कोक सिंह } पुत्रगण बदन सिंह
3. चरन सिंह }
4. फोरन सिंह पुत्र भगवान सिंह

} जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम धारापुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हरगोविन्द पुत्र रामखिलाडी जाति ठाकुर निवासी धारापुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. रमेश पुत्र नत्थीलाल
3. प्रकाश पुत्र डरेलाल
4. बबलू पुत्र रामभरोसी
5. रामकेश पुत्र मुन्नालाल

} जाति बघेल निवासी ग्राम गडरपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय राजाखेडा।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 29.06.16 मि.नं. 73/13 उनवानी हरगोविन्द बनाम रामहरी।

अभिभाषकगण :–

1. श्री मुकेश कमठान वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव वकील रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–23.12.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम धारापुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर का वादी/असल रैस्पो0 खातेदार काश्तकार एवं मौके पर काबिज है। प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 ताकतवर एवं ऊँची पहुँच वाले व्यक्ति हैं वह वादी/असल रैस्पो0 की उक्त खातेदारी की आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी/असल रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काबिल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाब दावे के आधार पर ना तो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के आधार पर तनकीयात कायम की और ना ही अपीलाण्ट व रैस्पो0 की साक्ष्य ही अभिलेख पर ली, जिससे यह सिद्ध है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत व तथ्यो के विपरीत राजस्व लोक अदालत में बिना तनकीयात बनाये प्रकरण का निस्तारण करने में भूल की है। रैस्पो0 ने गलत तथ्यो के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 2325/2020 पर बिना आधिपत्य व स्वामित्व के इन्द्राज के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। उक्त विवादित खसरा नम्बर 2325/2020 के पूर्व खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट के पूर्वज रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यो की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि नकल मिलने की दिनांक से अपील अपीलाण्ट मियाद अन्दर प्रस्तुत की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2024(1) पेज 225, 267, 635, 54, 67 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रैस्पो0 विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अपीलाण्ट रैस्पो0 की कब्जे काश्त की आराजी को जबरन ताकत के बल पर हडपना चाहते हैं। अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 16.09.2016 को लगभग एक माह की देरी से प्रस्तुत की गयी है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि नकल के प्रार्थना पत्र की नकल प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने नकल तैयार करने में समय लगाया। अतः नकल मिलने की दिनांक 23.08.2016 को शुमार करते हुये, अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद है। हमने मनन किया। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। वैसे भी मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, गुणावगुण पर निर्णय पारित करना ज्यादा न्यायोचित होता है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये, अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। हम पाते हैं कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत हुआ है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते कायमी तनकी में विचाराधीन था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पूर्व निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 30.06.2016 से पूर्व ही दिनांक 29.06.2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर निर्णित कर दिया। जबकि प्रकरण में पक्षकार के मध्य राजीनामा/सहमति बनी हो। ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यहॉ तक पेशी दिनांक 31.05.2016 की आदेशिका में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो के मध्य राजीनामा नहीं होना अंकित कर रखा है। प्रकरण पेशी दिनांक 21.04.2016 तक वास्ते कायमी तनकियात हेतु निर्धारित था। अतः पक्षकारों में राजीनामा के बिना प्रकरण का निस्तारण, बिना तनकी निर्णित किये सम्भव नहीं हो सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 अपास्त किये जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है। प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2025 को वास्ते सुनवाई

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्धारित पेशी से पूर्व भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर